

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई 2016

विषय:—प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की वार्षिक स्थानान्तरण 2016-17 की समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-महा०निदे०/कैम्प/2016/403, दिनांक 08.07.16 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 शासनादेश संख्या-2131/सेक-2-पांच-16-4(79)/2008, दिनांक 13.06.16 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश में स्थानान्तरण की समयावधि 30.06.16 निर्धारित थी। सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र की समयावधि दिनांक 31.07.16 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-28²²(1)/सेक-2-पांच-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(प्रशिक्षण), उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, एस०पी०एम० सिविल चिकित्सालय/बलरामपुर चिकित्सालय/डा० आर०एम०एल० संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/यू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।
6. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।

7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
8. समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला (पुरुष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ०प्र०।
11. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।